राजस्व अपील संख्या : 20/2025
उनवान : अन्तर कंवर बनाम नरपतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 20/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/110

अपीलाण्ट :–

अन्तरकंवर पुत्री थानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी दूदनी, तहसील बाली, जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

1. नरपतसिंह पुत्र थानसिंह
2. किशोरकुमार पुत्र अजीतसिंह
3. भंवरसिंह पुत्र अजीतसिंह जातिगण रावणा राजपूत निवासीगण दूदनी तहसील बाली जिला पाली राज.
4. नायब तहसीलदार बेड़ा तहसील बाली जिला पाली राज.

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चौहान।
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव।
3. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सोनीगरा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 25.05.2026

अपीलार्थिया द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के प्रावधानान्तर्गत विचाराधीन अपील प्रस्तुत कर उपतहसीलदार बेड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1508 दिनांक 01.05.2025 पटवार मण्डल दूदनी की वैधता को चुनौति दी है।

सुनवाई के दौरान रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. सरहद मौजा दूदनी बाहरी क्षेत्र पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली में प्रार्थी (रेस्पोडेण्ट संख्या 01) नरपतसिंह व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 किशोरसिंह व रेस्पोडेण्ट संख्या 03 भंवरसिंह की पैतृक कब्जा काश्त की कृषि भूमि माना पुत्र नवा जाति रावणा राजपुत के नाम आई हुई स्थित थी जिसके खसरा नम्बर 455 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, 566/785 रकबा 0.1300 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 0.2900 हैक्टेयर वार्षिक लगान 1.1600 रुपये उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में बतौर विरासत माना पुत्र नवा का फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 894 जरिये सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 व इनके पुत्र मनोहरसिंह पुत्र किशोरसिंह ने तत्कालीन पटवारी दूदनी से साठ गांठ कर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेण्टान संख्या 02 व 03 किशोरसिंह की जिसे सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी ने बिना जांच पड़ताल के जरिये प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 20.03.2015 को स्वीकृत किया जिससे राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 नरपतसिंह पुत्र थानसिंह का 1/2 वां हिस्सा इन्द्राज नहीं किया सबूत मे ना.स. 894 की प्रति सलंग्न है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 20/2025
उनवान : अन्तर कंवर बनाम नरपतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

2. यह है कि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 नरपतसिंह ने नामान्तरकरण संख्या 894 दिनांक 20.03.2015 को ग्राम पंचायत दूदी द्वारा स्वीकृत करने के विरुद्ध एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 एवं तहसीलदार बाली विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में पेश की जो बउनवान अपीलाण्ट नरपतसिंह बनाम रेस्पोडेण्ट ग्राम पंचायत दूदनी वगैरा राजस्व अपील संख्या 2023/305 है जिसमें बाद सुनवायी दिनांक 02.09.2024 को अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम दूदनी स्थित खसरां न. 455 व खसरा नम्बर 566/785 कुल खसरा 02 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषण कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलाण्ट नरपतसिंह भी स्व. माना पुत्र नवा का विधिक वारिसान होने से रेस्पोडेण्ट (किशोरसिंह, भंवरसिंह पुत्र अजीतसिंह) के साथ अपीलाण्ट (नरपतसिंह) को भी 1/2 हिस्से में खातेदार मानते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना से दो माह में अवगत करावे आदेश प्रति के साथ पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 894 की सत्यापित प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
3. यह है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश की पालनार्थ के तहसीलदार बाली ने वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 894 को निरस्त कर अपीलाण्ट का नाम 1/2 वां हिस्से हेतु अपने अधीनस्थ नायब तहसीलदार बेड़ा व पटवारी दूदनी को भेजा जिस पर नामान्तरकरण संख्या 1482 दिनांक 02.03.2025 व नामान्तरकरण संख्या 1508 दिनांक 01.05.2025 के नायब तहसीलदार बेड़ा ने न्यायालय आदेश की पालना कर वादग्रस्त कृषि भूमि में किशोरसिंह पुत्र अजीतसिंह 1/4 नरपतसिंह पुत्र थानसिंह 1/2 वा हिस्सा दर्ज किया जो वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज है म्यूटेशन संख्या 1482 व 1508 की प्रति साथ सलंग्न है।
4. यह है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश दिनांक 02.09.2024 राजस्व अपील संख्या 2023/305 की राजस्व द्वीतीय अपील रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 (किशोरसिंह व भंवरसिंह) ने नरपतसिंह व अन्य के विरुद्ध श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय पाली में प्रस्तुत कर रखी है जिसके अपील संख्या 771/2024 है जो विचाराधीन है। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट व इनके अधिवक्ता को है द्वीतीय अपील व सम्मन की प्रति साथ संलग्न है।
5. यह है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 व 03 को एवं इनके अधिवक्ता को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली में निर्णीत वादग्रस्त भूमि की अपील एवं उसकी पालनार्थ में नामान्तरकरण संख्या 1482 दिनांक 02.03.2025 न्यायालय आदेश एवं नामान्तरकरण संख्या 1508 दिनांक 01.01.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 नरपतसिंह का 1/2 वां हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे नायब तहसीलदार बेड़ा द्वारा दर्ज करने की जानकारी एवं सम्भागीय आयुक्त के न्यायालय में द्वीतीय अपील की जानकारी होते हुये भी श्रीमान के न्यायालय में बिना वादकरण बिना क्षेत्राधिकार एवं विधि द्वारा वर्जित (barred by law) के अपील पेश की है जो काबिल खारिज के है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रार्थी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 नरपतसिंह की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें एवं अपीलाण्ट की अपील विधि द्वारा वर्जित (barred by law) होने से खारिज फरमावें।

अपीलाण्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 20/2025
उनवान : अन्तर कंवर बनाम नरपतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक सही होने से स्वीकार है, यहां यह कहना सही है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने न्यायालय में तथ्य छिपाकर अपने अकेले का नामान्तरकरण अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में पेश की थी, जबकि थानसिंह के वारिसदार नरपतसिंह पुत्र अन्तरकंवर पुत्री शांन्ताकंवर पत्नी, व शान्ताकंवर की मृत्यु होने के कारण थानसिंह के वारिसदार नरपतसिंह व अन्तरकंवर ही है। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने तथ्यों को छिपाकर अपने एकमात्र के नाम से नामान्तरकरण भरवा दिया गया है।
2. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 कानूनी होने से स्वीाकार है।
3. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 व 04 कानूनी होने से स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित तथ्य मनगढ़ंत व बिना तथ्यों के आधार पर लिखा गया है, उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है, क्योंकि प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सी.पी.सी. का वाद पत्र में ही पेश किया जा सकता है, अपील में उक्त प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता है। म्यूटेशन अपील एक नामान्तरकरण प्रक्रिया है, न कि वाद पत्र है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांण्ट की अपील को दैरीना करने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जबकि हिन्दु विधि के अनुसार अपीलाण्ट का अपनी पैतृक सम्पति में हिस्सा अनुसार नामान्तरकरण होना जरुरी है। उक्त भूमि दूदनी बाहरी क्षेत्र में होने व नामान्तरकरण उप तहसीलदार बेड़ा द्वारा भरे जाने के कारण क्षेत्राधिकार बाली है।

अतः जवाब पेश कर श्रीमान् से निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जावें।

विचाराधीन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष/रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थिया द्वारा इस अपील के माध्यम से जिस नामान्तरकरण स्वीकृति आज्ञा 1508 दिनांक 01.05.2025 की वैधता को चुनौति प्रस्तुत की है, वह नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय की अनुपालना में दायर व स्वीकृत किया गया है एवं उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के किसी निर्णय की वैधता को इस न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, अतः विधि द्वारा वर्जित होने से हस्तगत अपील काबिल खारिज है। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने यह भी ज़ाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त में पूर्व से ही एक अपील विचाराधीन है।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट/अप्रार्थी ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि आदेश 07 नियम 11 मात्र वाद कार्यवाहियों पर ही लागु होता है तथा अपील का गुणावगुण आधार पर निर्णय करते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 खारिज की जाए।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या दो एवं तीन ने वैधानिक प्रावधानों के अनुरुप हस्तगत प्रार्थनापत्र के न्यायपूर्ण निस्तारण का निवेदन किया।

वकुलाए फ़रीकेन की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

अपीलार्थिया द्वारा पटवार मण्डल दूदनी के नामान्तरकरण संख्या 1508 के सम्बन्ध में उपतहसीलदार बेड़ा की स्वीकृति आज्ञा दिनांक 01.05.2025 को प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी है कि अपीलार्थिया स्व. थानसिंह की पुत्री है तथा उसके भाई अर्थात रेस्पोडेण्ट संख्या एक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 20/2025
उनवान : अन्तर कंवर बनाम नरपतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

नरपतसिंह द्वारा तथाकथित तथ्यों को छिपाते हुए विवादग्रस्त आराजी में अकेले स्वयं के नाम का इन्द्राज करवा दिया।

ज़ैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1508 की मूल परत के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरकरण न्यायालय आदेश की अनुपालना में दर्ज व स्वीकृत किया गया है। काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या एक/प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों एवं उनके कथनानुसार इसी कृषि आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 2023/305 बउनवान नरपतसिंह के पक्ष में निर्णीत करते हुए स्व. माना पुत्र नवा का वैध वारिस मानते हुए 1/2 हिस्से का खातेदार मानते हुए पूर्व नामान्तरकरण संख्या 894 को निरस्त करते हुए निर्देश दिए थे कि " अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। **ग्राम दूदनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 455 व खसरा नम्बर 566/785 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.2800 हैक्टेयर के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 894 स्वीकृत दिनांक 20.03.2015 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाली को प्रतिप्रेषण कर निर्देश दिए जाते है कि अपीलाण्ट भी स्व.माना पुत्र नवा के विधिक वारिसान होने से रेस्पोडेण्ट के साथ अपीलाण्ट को भी 1/2 हिस्से में खातेदार मानते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही कर पालना से दो माह में अवगत करावे। आदेश प्रति के साथ पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 894 की सत्यापित प्रति तहसीलदार बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।"**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा प्रदत्त उक्त निर्णय की अनुपालना में ही उपतहसीलदार बेड़ा द्वारा जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थी(रेस्पोडेण्ट संख्या एक) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 में प्रमुखतः यह ऐतराज व्यक्त किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा प्रदत्त किसी निर्णय या कार्यवाही की वैधता को इस न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकती, अतः हस्तगत अपील विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल खारिज है।

हस्तगत अपील में आदेश 07 नियम 11 के उपनियम (d) के सन्दर्भ में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की **धारा 75** का अवलोकन प्रासंगिक है कि इस अधिनियम में जब अन्यथा उपबन्धित हो, उसके सिवाय पहली अपील निम्नलिखित को होगी–

(क) बन्दोबस्त या भूमि अभिलेख से सम्बन्ध नहीं रखने वाले मामलों में तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश की ककलेक्टर को)

(ख) बन्दोबस्त से सम्बन्ध नहीं रखने वाले मामलों में किसी सहायक कलेक्टर या उप खण्ड अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित मूल आदेश की (राजस्व अपील प्राधिकारी) को,

(ग) राजस्व न्यायालय या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश का बन्दोबस्त अधिकारी को,

(घ) राजस्व न्यायालय या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश की, भूमि अभिलेख अधिकारी को,

(ड.) बन्दोबस्त के सम्बन्धित मामलों द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित मूल आदेश की बन्दोबस्त आयुक्त को,

(च) भूमि अभिलेख से सम्बन्धित मामलों में भूमि अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश की, भूमि अभिलेख (आयुक्त) को,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 20/2025
उनवान : अन्तर कंवर बनाम नरपतसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

(छ) राजस्व अपील प्राधिकारी या बन्दोबस्त आयुक्त (या अपर आयुक्त) द्वारा पारित मूल आदेश की, बोर्ड को, होगी।

धारा 75 की उपधारा (च) में यह स्पष्ट उपबंध है कि उपखण्ड अधिकारी (Land record officer) द्वारा भू–अभिलेख से सम्बन्धित प्रकरणों में पारित किसी मूल आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील भू–अभिलेख निदेशक (संभागीय आयुक्त) को प्रस्तुत होगी। अर्थात् इस न्यायालय को यह अपील सुनने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नहीं है।

यह भी स्वीकार्य स्थिति है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 2023/305 में पारित उक्त निर्णय के विरुद्ध श्रीमान संभागीय आयुक्त के न्यायालय में एक अपील पूर्व से ही विचाराधीन है। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 2023/305 तथा उसके विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्रस्तुत अपील दोनों ही प्रकरणों में अपीलाण्ट पक्षकार नहीं है। तथापि अपीलार्थिया से यह अपेक्षित था कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 02.09.2024 की अनुपालना में दर्ज जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1508 की सर्वप्रथम जानकारी होते ही उक्त निर्णय के विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाती अथवा उक्त न्यायालय में विचाराधीन अपील में पक्षकार संयोजित होने बाबत कार्यवाही की जाती, किन्तु अपीलार्थिया द्वारा उपरोक्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी न्यायालय हाजा में हस्तगत अपील प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 1508 दिनांक 01.05.2025 को चुनौति दी है, जो नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में दर्ज हुआ है तथा जिसके विरुद्ध अपील का श्रवणाधिकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 उपधारा (च) के अनुसार निदेशक भू अभिलेख को ही प्राप्त है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 के उपबन्धों के सन्दर्भ में काबिल अधिवक्ता अपीलार्थी का यह तर्क भी खारिज किया जाता है कि आदेश 07 नियम 11 के प्रावधान मात्र वाद कार्यवाहियों पर ही लागु होते है।

अतः रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 में अंकित तथ्य प्रमाणित पाए जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील 'विधि द्वारा वर्जित' (Barred by Law) होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **25.05.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला बाली